(12)

(ए.के. सिंह)
अपर सत्र न्यायालय कटनी के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
जिला-कटनी (म.प्र.)

न्यायालय: अपर सत्र न्याया. कटनी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, कटनी

---

6306/09 (पीठासीन अधिकारी : ए०के०सिंह)

दां.अ.क्र. 83/09

संस्थित दि. 22-06-09

दरिया पिता जुगलाल बामरिया,
उम्र-51 साल, निवासी-लोहगढ़ पंचकूला
हरियाणा

...अपीलार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन,
द्वारा: वन परिक्षेत्र अधिकारी कटनी...उत्तरार्थी/अभियोजन

---

अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र तिवारी।
उत्तरार्थी द्वारा अधिवक्ता कु० मंजुला श्रीवास्तव।

---

-=: नि र्ण य :=-

(आज दिनांक 13-08-2009 को घोषित किया)




1- यह अपील श्री उमाशंकर अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के द्वारा दांडिक प्र. क्र.-96/09 वन परिक्षेत्र अधिकारी कटनी विरुद्ध दरिया बामरिया निर्णय दिनांक- 10.6.09 के विरुद्ध अपीलार्थी/अभियुक्त ने पेश की है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दिनांक- 27.11.08 को रात करीब 10.20 बजे आर. एफ 109 ग्राम खिरवा वनपरिक्षेत्र बीट मझगवा मे शेर व तेंदुआ मारने के फंदा, चाकू लाठी जिसमें लोहे के भाले एवं तेंदुआ के बाल लगे थे बल्लम एवं साभर के 6 नग सींग, चीतल का एक नग चमडा, शासकीय संपत्ति को अवैध रूप से रखने का दोषी पाकर धारा 51 वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 साल के कठोर कारावास एवं 10000/- रूपये के अर्थदंड अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह के कारावास से दंडित किया है।




2- संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि, दिनांक- 27.11.08 को परिक्षेत्र सहायक वनविभाग कटनी के विजेन्द्र ~~सिंह चौहान~~ (आ. सा.-2) को वनमंडल अधिकारी से यह सूचना मिली कि वन क्षेत्र आर. एफ 109 में शिकारी डेरा डाले है तो गोविंद नारायण, चंद्रभूषण और एस. डी. ओ. संदीप शुक्ला के साथ मौके पर पहुंचे जहाँ वन रक्षक राजेन्द्रकरण (आ. सा.-1) पहले से मौजूद था। घटना स्थल (एक डेरा) और उसकी पत्नि मिले

अपर सत्र न्यायालय के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

पूछने पर बताया कि, तेंदुआ का शिकार करना था जिनका चमड़ा [illegible] के [illegible] को देते हैं। उनके आदमियों के साथ तेंदुआ मारने का इंतजार कर रहा था। अभियुक्त के पास से चीतल का चमड़ा, सांभर के सींग, तेंदुआ मारने का फंदा, प्लास्टिक की तांत (रस्सी) -बोरी, फुट्टी शेर मारने का फंदा, चाकू, तार लगी लाठी कुल-2 जिसमें एक में कीले भी लगी थी। एक अलग से लाठी जिसमें नोक थी जप्त किया। बयान लिये। जप्त माल का परीक्षण करने अ.सा.-3 पशु चिकित्सक डॉ. ए.बी. श्रीवास्तव के पास भेजा। खाल चीतल की बताई जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.-12 है। अन्य सामान में जो बाल लगे थे उनके परीक्षण में बाल तेंदुआ के होना पाया गया। इस संबंध में जप्ती पंचनामा पी.-30 नक्शा मौका पी-4 है। शेष अन्य विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3- विचारण न्यायालय में अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियोजन साक्ष्य के बाद धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त का कहना था कि, वह निर्दोष है। कोई सामान जप्त नहीं हुआ। वन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रश्न क्र. 35 और 36 में प्र.पी.-3 जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर [illegible] के बारे में पूछे जाने पर अभियुक्त का कहना था कि बयान नहीं दिया पुलिस ने कोरे कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये थे। आफिस बुलाकर झूठा फंसाया है। बचाव साक्ष्य के लिये समय लिया लेकिन बचाव साक्ष्य पेश नहीं किये।

4- विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के विरुद्ध अपील में कहा गया है कि, विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों का सही निर्णय नहीं किया है। जप्ती पंचनामा पी-3 में [illegible] का जिक्र नहीं है कि फंदे में तेंदुआ के बाल है। प्र.पी.-7 में चमड़े और सींग जांच के लिये भेजने की बात है। फंदे जांच में भेजने का प्रमाण नहीं है। डॉ. सोनी के समक्ष सामान पेश नहीं किया। उन्होंने पशु चिकित्सालय जबलपुर सामान भेजना कहा है। चीतल का चमड़ा जांच के लिये नहीं भेजा गया है। निर्णय की कंडिका 13 में विचारण न्यायालय ने प्र.पी.-7 और प्र.पी.-15 के दस्तावेजों की और न्यायालयीन साक्ष्य की गलत विवेचना की है। जूनियर डाक्टर के कथन नहीं है। बिना सामान के रिपोर्ट औचित्यहीन है। आरोपी को वन विभाग ने षडयंत्र करके फंसाया है। जप्ती पत्र पर सील नहीं है समस्त अभियोजन साक्ष्य संदिग्ध है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जायें।

(ए.के. सिंह)
अपर सत्र [illegible] न्यायाधीश
न्यायालय के [illegible]
जिला [illegible]

5- अभियोजन का कहना है कि निर्णय उचित है । अपील निरस्त की जाये ।

6- विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रकरण के तथ्यों में अपील स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है।

/:/ सकारण निष्कर्ष /:/

7- अ. सा. -1 वन रक्षक राजेन्द्र करण ने नवम्बर 2008 में मगवां बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुये 27.11.08 को शासकीय जंगल ~~जंगल~~ आर. एफ 109 में एक व्यक्ति के द्वारा डेरा डालना बताया । साक्षी के अनुसार शिकार के संबंध में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो अभियुक्त दरियाव मिला और उसे बताया कि तेंदुआ के शिकार के प्रयास में था, उसके पास से चाकू, छुरी 3 लाठियाँ जप्त की जिसमें एक में कील, एक में तार था, चीतल, सांभर का सींग एवं चीतल का चमड़ा भी पाया गया । उसने भी बताया कि यह माल दिल्ली के संसारचंद को देते हैं । दरियाव का ~~बयान~~ प्र. पी.-1 है । आर्टिकल -ए1 शेर मारने का लोहे का फन्दा, आर्टिकल ए-2 तेंदुआ मारने का फन्दा, आर्टिकल ए-3 बड़ा चाकू, आर्टिकल ए-4 छोटा चाकू, ए-5 बल्लम, ए-6 सादी लाठी, ए-7 तार और कील लगी और लाल लगी लाठी आर्टिकल ए-8 तार लगी हुई लाठी, चीतल का चमड़ा आर्टिकल ए-9, चीतल के सिंग आर्टिकल ए-10, आर्टिकल ए-11 सांभर के 3 सींग, आर्टिकल ए-12 टार्च, और चादर का टुकड़ा ए-13 है इस संबंध में पंचनामा पी-2 पर साक्षी ने अपने अ से अ भाग पर अपने तथा स से स अभियुक्त के हस्ताक्षर बताये । इसी प्रकार जप्ती पंचनामा पी-3 पर भी व अभियुक्त के हस्ताक्षर बताये । नक्शा मौका पी-4 बनाना उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर बताये, पी. ओ. आर. क्र.-178/08 ~~[illegible]~~ प्र. पी.-5 दर्ज करना बताया ।

इस संबंध में अपने कथन प्र. पी.-6 बताये । प्रतिपरीक्षण में बताया कि, चाकू, टार्च बाजार में मिलती है । घटना स्थल पर डिप्टी रेंजर चौहान व अन्य स्टाफ तथा सुरेश सेन, चंदभूषण तिवारी आदि थे । अभियुक्त के विरुद्ध फर्जी कार्यवाही करने का सुझाव साक्षी ने अस्वीकार किया । साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सामग्री को सील किया था लेकिन उसका उल्लेख सील सहित सहमति प्र. पी.-3 में नहीं है।

8- अ. सा. -2 विजेन्द्र सिंह चौहान सहायक वन परिक्षेत्र हटनी के

(ए.के. सिंह)
अपर [illegible] के
न्यायालय [illegible] धीश
जिला [illegible]

रूप में नवम्बर 2008 में पदस्थ होना बताया और अा. सा. -1 राजेन्द्र करण की तरह अभियोजन कहानी अभियोजन मामले का समर्थन करते हुये बताया कि दरियाव शिकार की तैयारी में था और उसके पास से चीतल का चमड़ा, सांभर का चीतल के सींग, शिकार के फंदे चाकू लाठी आदि बरामद हुये इस संबंध में साक्षी ने दरियाव के ब्यान प्र. पी. -1 जप्ती पंचनामा पी-3 पर अपने हस्ताक्षर और अभियुक्त के हस्ताक्षर बताये । जप्ती का समर्थन किया। इस संबंध में पशु चिकित्सक को प्रतिवेदन प्र. पी-7 के साथ चमड़ा और सींग जाँच के लिये भेजना बताया । सुरेश सेन के ब्यान प्र. पी-8 दरियाव के गिरफ्तारी पंचनामा प्र. पी. -9, सुंदर बाई को सुपुर्दगी पर दिये सामान के पंचनामा प्र. पी-10 पर हस्ताक्षर बताये साथ ही लाठी फंदा वाली, कील वाली, चाकू, बल्लम, चादर, टार्च प्र. पी. -11 के अनुसार सील बंद कर वन कार्यालय में जमा करना बताया । प्रति-परीक्षण में बताया कि जब घटना स्थल पर पहुचे तो दरियाव फंदा लगा-कर नहीं बैठा था । जप्ती पंचनामा आर. एफ. 109 के संबंध में बनाया गया था । प्र. पी. -11 में जितनी वस्तुये पशु चिकित्सक के यहा भेजी गई थी उतनी ही वापिस प्राप्त हुई ।

9. अा. सा. -3 डॉ. ए. बी. श्रीवास्तव पशु चिकित्सक ने बताया कि जबलपुर वेटनरी कालेज में वन्य प्राणी विभाग में पदस्थ है, वन्य पार-क्षेत्र कटनी से प्र. पी. -7 के प्रतिवादेन के साथ चीतल का चमड़ा, सांभर सींग परीक्षण के लिये पशु चिकित्सक कटनी द्वारा भेजे गये थे जिन्हे अधीनस्थ डॉ. ने प्राप्त किया । उक्त संपत्तियो के साथ वनमंडल अधिकारी के पत्र क्र. 14 दिनांक- 28.11.08 से शेर और तेंदुआ मारने के फंदे, लाठी सिर पर तार लगा चाकू बल्लम, चादर का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ। जप्त खाल की जाँच और बालो का मुआयना किया था । खाल चीतल की पाई थी । रिपोर्ट प्र. पी. -12 है । फंदों में बाल फंसे थे जो परीक्षण में तेंदुये के बाल होना पाये थे । समस्त संपत्ति सीलबंद प्राप्त हुई थी और सीलबंद करके लौटा दी थी. रिपोर्ट प्र. पी-13 है । प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना था कि सील नमूना पत्र में अंकित नहीं है। प्र. पी-12 में सींग की जाँच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है । साक्षी के कहना था कि उल्लेख करना भूल गये थे ।

10. असा-4 वन विभाग के एस.डी.ओ. एस.के. मिश्रा ने घटना के समय वन मंडल पूर्व क्षेत्र कटनी में पदस्थ होना बताया और अभियोजन मामले में का समर्थन करते हुये अभियोजन मामले के अनुसार दि. 27-11-08 को शिकार की तयारी के साथ अपील निर्णय में ~~रैरुर~~ उपर वर्णित लाठियां जिसमें शिकार के लिये फंदा लगा था, चीतल-सांभर का ~~चमड़ा~~ सींग, चीतल का चमड़ा, चाकू कुल्हाड़ी आदि जप्त करना बताया । इस संबंध में गवाह सुरेश के बयान प्रपी-8 पर साक्षी ने अपने स से स भाग पर अभियुक्त दरिया के हस्ताक्षर बताये । प्रपी-6 के राजेन्द्र करण के बयान और शकुनतला के बयान प्रपी-14 पर साक्षी ने अपने गवाह और अभियुक्त के हस्ताक्षर बताये ~~। प्रतिपरीक्षण में साक्षी~~ का कहना है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया, घटना स्थल की कार्यवाही साक्षी ने अपने आगे न होना बताया और गवाहों के बयान वन विभाग के कार्यालय में लेखबद्ध होना बताया ।




11. असा-5 संदीप शुक्ला कटनी वन मंडल के संलग्न अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक ने भी अभियोजन मामला का समर्थन किया है और अभियुक्त को अभियोजन मामले में वर्णित सामान के साथ जिसमें शिकार की तैयारी का समान था जिसमें लाठी, बल्लम, चीतल का चमड़ा, चीतल व सांभर के सींग ~~[illegible]~~ जप्त करना बताया। साक्षी के अनुसार अभियुक्त के बयान लिखे गये थे जो प्रपी-1 है जिस पर स से स साक्षी ने अपने हस्ता० बताये । जप्ती पंचनामा प्रपी-3 तथा जप्त वस्तु को जबलपुर परीक्षण के लिये भेजे जाने का पत्र प्रपी-15 पर साक्षी ने अपने हस्ता० बताये । प्रतिपरीक्षण में बताया ह कि अभियुक्त द्वारा यह बताया था कि दिल्ली के संसार चंद्र को संरक्षित वन प्राणियों से संबंधित सामग्री भेजता है लेकिन प्रतिपरीक्षण के पैरा-6 ई साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी-3 में सीलबंद सील चिन्ह का नमूना का उल्लेख नहीं है ।

12. असा-6 सुरेश सेन के अनुसार वह भी आरोपी दरिया को जानता है साक्षी के अनुसार वन विभाग के 4-5 कर्मचारी उससे पूछताछ कर रहे थे जिसमें उसने शिकार के लिये लाठियां फंदा लगी, चाकू, बल्लम, चीतल का चमड़ा, टार्च जप्त कराया । अभियुक्त का बयान लिखा गया

अप
न्याय ... प्रतिलिपिकार

बयान प्रपी-1 पर और जप्ती पंचनामा प्रपी-2 पर साक्षी ने क्रमशः द से द, स से स पर हस्ताक्षर बताये। साक्षी के अनुसार अभियुक्त ने लोहे का फंदा शेर और तेंदुआ के शिकार करने के लिये, सांभर के सींग जप्त कराये थे। साक्षी ने इस संबंध में जप्ती पंचनामा प्रपी-3, नजरी नक्शा प्रपी-4 पर अपने हस्ताक्षर बताये और वन विभाग के लेख किये बयान प्रपी-8 पर द से द पर हस्ताक्षर बताये। प्रतिपरीक्षण में बताया कि आरोपी को पहले से नहीं जानता था। वन विभाग के लोग बल्लम, चाकू, फंदा, चमड़ा अलग-अलग कपड़े में सीलबंद थे लेकिन सील नमूना नहीं लगाया था। साक्षी का कहना था कि जो सामग्री अभियुक्त से जप्त हुई थी वह अभियुक्त के डेरे में रखी थी।

13. असा-7 वन विभाग के रेंजर एस पी तिवारी ने भी अभियोजन मामला का समर्थन करते हुये बताया कि दरिया के विरुद्ध इस्तगासा प्रपी-16 पेश हुआ था जिस पर अ से अ, ब से ब एवं स से स साक्षी ने अपने हस्ताक्षर बताये। अभियुक्त के अन्य मामलों की अपराध पंजीयन की सत्य प्रतिलिपि प्रपी-17 से पी-19 बताया। अभियुक्त से 3 लाठी जिसमें 2 नग में तार और कील लगे थे, चाकू और बल्लम, चीतल का चमड़ा, चीतल व सांभर के सींग जप्त किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना था कि घटना स्थल की कार्यवाही उसके आगे नहीं हुई। प्रतिपरीक्षण में आगे साक्षी का कहना था कि प्रपी-18 में दरियाव लिखा है प्रपी-17 में नहीं है, प्रपी-18 में उम्र लिखी है प्रपी-19 में अभियुक्त के पिता का नाम सुनियासिंह होना बताया, जप्त वस्तुयें सीलबंद होना बताया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र तिवारी ने 2008(3) एमपीडब्ल्यूएन-93 लेखचंद्र वि. स्टेट आफ एम.पी. का न्याय दृष्टांत पेश किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में यदि धारा 9, 59ए सपठित धारा 51 के आरोप है लेकिन धारा 39 का आरोप नहीं है, जप्त तेंदुयें की खाल के अवलोकन से साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट नहीं कि शिकार किया गया तो जब तक अवैध रूप से चमड़ा रखने का आरोप न हो, शिकार के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता और 12-13 वर्ष बाद

जिला-कटनी (म.प्र.)

मामला पुनः विचारण के लिये रिमांड न करना उचित न पाते हुये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कियागया ।

15. जहां तक न्याय दृष्टांत का प्रश्न है तो उसके तथ्य अलग है। अपील के मामले में धारा 39 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोपी पर आरोप है, इसके अलावा प्रत्येक मामले की स्थिति अलग होती है । विद्वान विचारण न्यायालय ने संरक्षित वन्य प्राणी से संबंधित वस्तुओं के संबंध में अपीलार्थी को धारा 39 में दोषी पाकर अधिनियम की धारा 51 में दंडित किया है ।

16. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवेचना में वन्य प्राणी संबंधी अपराध में अभियुक्त के द्वारा वन विभाग के अधिकारी को दिये गये अपराध संस्वीकृति बयान विधि में वर्जित नहीं है । इसके अलावा एआईआर-2000 एस.सी. 185 में बताया है कि विवेचक से यदि कोई त्रुटि होती है तो उसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा, यहीं बात एआईआर-2001 एस.सी. 142 के न्याय दृष्टांत में कहीं गई है । एआईआर-2000 एस0सी0 715 में कहा गया है कि यदि विवेचक ने घटना स्थल से खून जप्त नहीं किया है तो यह अभियोजन के लिये घातक नहीं है । एआईआर-2004 एस.सी.डब्ल्यू. 2748 पैरा 12 में कहा गया है कि बंदूक फेरोंसिक जांच के लिये नहीं भेजी तो अभियोजन के विरुद्ध कोई विपरीत प्रभाव नहीं ।

17. सामान्य विवेचना में महत्वहीन छोटी-मोटी त्रुटि से जब तक अन्य ऐसा आधार न हो जिससे अभियोजन मामला संदिग्ध लगे, दोषमुक्ति का आधार उत्पन्न नहीं होता है । असा-7 एच पी तिवारी के प्रतिपरीक्षण के पैरा-6,7 और 8 में अपीलार्थी के पिता के संबंध में आपत्ति की गई है और अभियुक्त की पहचान विवादित की गई है । परन्तु धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत लेख किये कथन में अपीलार्थी ने अपने को दरिया पुत्र जुगलाल बताया है और इसी नाम से अभियुक्त का विचारण

(ए.के. सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
जिला-कटनी (म.प्र.)

किया जा रहा है, अतः पश्चात् संदेह आपत्ति आधारहीन पाई जाती है। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथन और दस्तावेजों जिनका उल्लेख अपील निर्णय में ऊपर किया गया है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभियुक्त का बयान प्रपी-1 शिकार की तयारी के लिये जप्त फंदा, लाठी, बल्लम, चाकू से शिकार की तैयारी या उस व्यवसाय से जुड़े होने की पुष्टि प्रकरण के तथ्यों में अभियुक्त के संदर्भ में होती है। चीतल के चमड़ा जप्त करना बताया है इस संबंध में जप्ती पंचनामा प्रपी-3 है, जप्ती सामान पत्र प्रपी-7 से जांच के लिये भेजा है लेकिन पशु चिकित्सक कटनी से इसे पशु महाविद्यालय जबलपुर भेजने का कहा है जहां पर चीतल की खाल प्राप्त की गई है। इस संबंध में प्रपी-12 की जांच रिपोर्ट में जप्त खाल चीतल की होना बताया है। अपील में वस्तुओं की संख्या विवादित की गई है यह भी कहा गया है कि वस्तुये जबलपुर पशु महाविद्यालय जांच के लिये नहीं भेजी गई है परन्तु गवाहों के कथन, प्रस्तुत दस्तावेज, जिनमें समान जांच के लिये भेजने का पत्र प्रपी-12 जो चीतल की खाल होने के संबंध में है और प्रपी-13 जिसमें जप्त फंदे में बाल तेंदुये के होना बताया है से आपत्ति निराधार मालूम होती है यदि सींग की जांच नहीं भी हुई है तो उससे अभियोजन का अन्य मामला खारिज नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार गवाहों की संख्या से अधिक गवाहों की साक्ष्य का गुणवत्ता का प्रश्न होता है यदि किसी एक गवाह के बयान नहीं कराये है तो वहां पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना होता है। ऐसी स्थिति में इस संबंध में आपत्ति निराधार है। न्यायालय को झूठ और सच में अंतर करके सच को स्वीकार करके निर्णय करना है जैसा कि एआईआर-1981 एस.सी. 897 में बताया है।

18. अपील में यह कहा गया है कि जप्ती पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि तेंदुआ का बाल फंदा में लगा है परन्तु विशेषज्ञ जांच का उद्देश्य यह है कि उस संबंध में सम्पूर्ण रिपोर्ट में दे, यदि जप्ती पंचनामा में बाल लगे होने का उल्लेख नहीं है लेकिन वह आगे जांच में पाया जाता

(ए.[illegible] सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
जिला-कटनी (म.प्र.)

तो इससे लंबित मामले के तथ्यों में वन विभाग के अधिकारी और डाक्टर के द्वारा मिलकर अभियुक्त के विरूद्ध गलत कार्यवाही करना प्रतीत नहीं होता है , धारा 313 दं.प्र.सं. के बयान में अभियुक्त ने अभियोजन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है किन्तु यह कहा है कि जबरदस्ती हस्ताक्षर कराये, झूठा फंसाया गया है लेकिन झूठा क्यों फंसा दिया है इस संबंध में न तो प्रतिपरीक्षण में कोई विशिष्ट बात उठाई और न ही धारा 313 दं.प्र.सं. के संबंध में कोई विशेष बात बताई है ।

19. कुल मिलाकर प्रकरण के तथ्यों में धारा 39 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में अभियुक्त की दोषसिद्धि सरकारी वन्य प्राणी संपत्ति रखने के संबंध में उचित पाई जाती है अतः दोषसिद्ध के विरूद्ध अपील स्वीकार योग्य नहीं है । सजा के प्रश्न पर विचार करें तो प्रकरण के तथ्यों में आरोप को देखते हुये अपील निर्णय की कंडिका-1 में वर्णित सजा उचित प्रतीत होती है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

20. अपील सारहीन पाते हुये निरस्त की जाती है । अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है । अपील निरस्त होने की सूचना जेल अधीक्षक कटनी को इस निर्देश के साथ भेजी जावें कि विचारण न्यायालय के सजा वारंट और अभिरक्षा प्रमाण पत्र के प्रकाश में शेष अभिरक्षा भुगताई जावें ।

आज दिनांक को हस्ताक्षरित कर न्यायालय में घोषित किया गया

13/8/09

(ए.के. सिंह)
अपर सत्र न्यायालय कटनी के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
जिला -कटनी (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया

(ए.के. सिंह)
अपर सत्र न्यायालय कटनी के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
जिला -कटनी (म.प्र.)

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी